न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार सिन्धव, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 1/15

धनराज उम्र 34 वर्ष आत्मज श्री रंगलाल जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट
बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक वादी
श्री गोविन्द सिंह चौहान, अभिभाषक प्रति.–1

दिनांक : 11.09.2017

संशोधित निर्णय

वादी धनराज द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा का स्थायी निवासी है तथा काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा में हाल खसरा नं0 845 की रकबा 1.01 है0 आराजी स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी के मामा श्री किशनलाल जी आत्मज श्री नन्दा जी की गैर खातेदारी में दर्ज है। श्री किशनलाल जी का दिनांक 02.11.2005 को स्वर्गवास हो गया है।

वादी के मामा श्री किशनलाल जी को ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा की उक्त वर्णित आराजी जिसके साबिक खसरा नं0 561 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा है आवंटित की गई थी और बाद आवंटन नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 20.08.1976 से उक्त भूमि श्री किशनलाल जी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। उक्त आवंटन से ही श्री किशनलाल जी उपरोक्त भूमि पर अपने जीवनकाल तक निरन्तर वैधानिक रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे। हाल सेटलमेंट संवत् 2038–57 में उक्त भूमि के नये खसरा नं0 845 रकबा 1.01 है0 कायम किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गत रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा (1.72 है0 के बराबर) के मुकाबले हाल रकबा 1.01 है0 कायम कर 0.71 है0 भूमि कम दर्ज की गई है। जबकि गत रकबे के अनुसार श्री किशनलाल की गैर खातेदारी में 1.72 है0 भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

श्री किशनलाल जी रिश्ते में वादी के सगे मामा थे। श्री किशनलाल जी ने अपने जीवनकाल में कोई विवाह नहीं किया था। वे शुरू से ही वादी को पुत्र स्वरूप मानते थे इस कारण वादी व उसके परिवार के साथ निवास करते थे। उनकी वृद्धावस्था में उनकी संपूर्ण देखभाल व सेवा सुश्रुषा आदि वादी व उसके परिवार ने ही की थी। उनकी मृत्यु भी वादी के पास ही हुई जिनका अन्तिम संस्कार व संपूर्ण क्रियाकर्म वादी ने पुत्र की हैसियत से सम्पन्न किया तथा श्री किशनलाल जी की पगडी भी जाति समाज के लोगों के समक्ष वादी के ही बांधी गई। वादी श्री किशनलाल जी का मुंहबोला गोदपुत्र है तथा उनका एकमात्र विधिक एवं जायज वारिस है। श्री किशनलाल जी ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम ताथेड की उक्त वर्णित आराजी की एक वसीयत भी दिनांक 16.06.2005 को गवाहान के समक्ष वादी के पक्ष में निष्पादित कर उसे नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवायी थी तथा उक्त वसीयतनामें के जरिये भी अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए वादी को अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस कारण श्री किशनलाल जी के स्वर्गवास के उपरांत वादी उनका भान्जा होने तथा उनका मुंहबोला गोदपुत्र होने तथा उक्त वसीयत के आधार पर उनका एकमात्र विधिक एवं जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है। वादी के अलावा श्री किशनलाल जी के अन्य कोई जायज वारिस नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कानूनन भी वादी श्री किशनलाल जी का वैध उत्तराधिकारी है। वादी उक्त आधार पर श्री किशनलाल जी के स्वर्गवास के उपरांत उनकी उक्त वर्णित आराजी के संबंध में हक घोषणा करवानें का अधिकारी है।

श्री किशनलाल जी अपने जीवनकाल तक उक्त वर्णित आराजी पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते रहे। श्री किशनलाल जी का दिनांक 02.11.2005 को स्वर्गवास हो गया उनके स्वर्गवास के उपरांत से वादी उनके विधिक एवं जायज वारिस की हैसियत से एवं उनकी उक्त वसीयत के आधार पर वसीयती उत्तराधिकारी की हैसियत से उक्त वर्णित आराजी पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है।

किशनलाल जी के स्वर्गवास के उपरांत वादी ने दिनांक 29.04.2011 को उक्त श्री किशनलाल जी की ग्राम ताथेड़ तह0 लाडपुरा जिला कोटा की उक्त खसरा नं0 845 की रकबा 1.01 है0 आराजी का फौती नामान्तरकरण वादी के पक्ष में खोले जाने हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का ताथेड़ ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 16.05.2011 में भी श्री किशनलाल जी के कोई सुलभी औलाद नही होना, उनके द्वारा वादी के पक्ष में 16.06.2005 को वसीयत निष्पादित किया जाना तथा उक्त आराजी पर वादी का काबिज काश्त चला आना उल्लेखित किया। किन्तु तहसीलदार साहब लाडपुरा ने श्री किशनलाल जी के गैर खातेदार दर्ज चले आने से वह वसीयत करने में सक्षम नही होने के आधार पर नामान्तरकरण को अस्वीकार कर दिया तथा इसी आधार पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (राजस्व) द्वारा वादी की अपील को खारिज कर दिया जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि चूंकि उक्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 20.08.1976 से श्री किशनलाल जी की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी तथा वे वक्त आवंटन से उक्त आराजी पर निरन्तर अपने जीवनकाल तक काबिज होकर काश्त करते रहे। प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2005 में उनके स्वर्गवास तक भी अर्थात लगभग 29 वर्षो बाद भी उक्त आराजी उनकी खातेदारी में दर्ज नही की गई जबकि कानूनन आवंटित भूमि पर किसी गैर खातेदार

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

द्वारा निरन्तर काबिज काश्त रहने पर नियमानुसार 10 वर्ष उपरांत उसकी खातेदारी में दर्ज की जाती है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी वर्ष 1976 में किशनलाल जी की गैरखातेदारी में दर्ज होने तथा नियमानुसार खातेदारी दर्ज होने की अवधि निकलने के पश्चात भी उक्त आराजी उनके खातेदारी में दर्ज नही किये जाने से कानूनन भी किशनलाल जी उक्त आराजी के By Operation of Law वैधानिक खातेदार हो गये है। श्री किशनलाल जी द्वारा दिनांक 16.06.2005 को वैधानिक खातेदार की हैसियत से ही वादी के पक्ष में उक्त आराजी का वसीयतनामा निष्पादित कर वादी को अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया है। इस कारण श्री किशनलाल जी के स्वर्गवास के उपरांत वादी उनके वैध एवं जायज वारिस तथा वसीयती उत्तराधिकारी की हैसियत से उक्त आराजी के संबंध में हक घोषणा करवाने का अधिकारी है साथ ही वादी प्रतिवादी के विरूद्ध शान्तिपूर्ण कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत एवं मदाखलत नही करने बाबत् स्थायी निषेघाज्ञा जारी करवाने का भी अधिकारी है। इस हेतु वाद माननीय न्यायालय में पेश है।

दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की निर्णय व डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादी को ग्राम ताथेड़ तह0 लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं0 845 की रकबा 1.01 है0 भूमि का तथा गत रकबे के अनुसार 0.71 है0 कमी रकबे को दुरस्त करवाकर कुल रकबा 1.72 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित फरमाया जावे तथा तदनुसार पूर्व इन्द्राज दुरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमाया जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे की प्रतिवादी वादी के उक्त आराजी में शांतिपर्ण कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजामहत नही करें, वादी को उक्त आराजी से बेदखल नही करें, उक्त कृत्य न तो स्वयं करें न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश किये गये जवाब दावा के अनुसार किशनलाल पुत्र नन्दा को 10 बीघा 15 बिस्वा आराजी का आवंटन होना तथा बाद सेटलमेन्ट कायम किये गये खसरा नम्बर 845 रकबा 1.01 आराजी किशनलाल की गैरखातेदारी में दर्ज होना स्वीकार किया गया है। दौराने वाद विवादित आराजी के निकटस्थ खसरा नम्बर को बाद सिवायचक, नगर विकास न्यास के खाते दर्ज कर दिये जाने से वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 पेश किये जाने पर नगर विकास न्यास, कोटा को प्रतिवादी 2 बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, तदुपरान्त प्रतिवादी क्रम 2 की विधिवत तामील उपरान्त भी उपस्थिति नहीं दिये जाने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये रकबे की कमी पूर्ति किये जाने तथा विवादित आराजी का मृतक श्री किशनलाल जी का वसीयती उत्तराधिकारी होने से किशनलाल पुत्र नन्दा के स्थान पर धनराज आत्मज श्री रंगलाल का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। वहीं प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। दौराने वाद प्रकरण में निम्न तनकियात कायम किये गये थे –

1– आया किशनलाल आत्मज नन्दा जी को ग्राम ताथेड स्थित ख0नं0 561 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित हुई, कब्जा सम्भलाया और इन्तकाल नं0 207 दिनांक 20.8.1976 से गैर खातेदारी में दर्ज की। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था जिसके समर्थन में ग्राम ताथेड की नामान्तरकरण पंजिका (प्रदर्श–4) पेश की है जिसमें अंकित कथनों से वादी को खसरा नम्बर 561 की 10 बीघा 15 बिस्वा आराजी का आवंटन होना, कब्जा संभलाना तथा गैर खातेदारी में दर्ज किया जाना सिद्ध हो रहा है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

2– आया वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये ख0नं0 845 रकबा 1.01 है0 कायम किये जो 0.71 है0 कम होने से रिकार्ड दुरूस्त कर पूर्ववत् 1.72 हैक्टर रकबा कायम किये जाने योग्य है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था जिसके समर्थन में वादी द्वारा मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–57 (प्रदर्श–2) पेश किया जिससे खसरा नम्बर 561 के नये खसरा नम्बर 845 बनना पाया गया एवं सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 2038–2057 (प्रदर्श–3) पेश की गई जिससे 845 का रकबा 1.01 हैक्टर कायम किया जाना पाया गया। तनकी नं. 1 के अनुसार मूल आवंटी किशनलाल को 10 बीघा 15 बिस्वा आराजी का आवंटन हुआ था। उक्त रकबे को वर्तमान पद्यति में परिवर्तित करने पर रकबा 1.72 हैक्टर बनता है, जबकि प्रदर्श 3 की जमाबन्दी के अनुसार आवंटी की गैरखातेदारी में 1. 01 हैक्टर रकबा दर्ज किया गया है जो मूल आवंटित रकबे से 0.71 हैक्टर कम है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

3– आया आवंटित आराजी पर जीवनपर्यन्त किशनलाल जी काश्त करते रहे, उनके स्वर्गवास बाद वादी वारिस उत्तराधिकारी होने से आज भी काश्त कर रहा है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था जिसके समर्थन में हल्का पटवारी का फौती इंतकाल खोले जाने का प्रत्युत्तर की नकल (प्रदर्श–5) पेश की है, जिसके बिन्दु 2 के अनुसार किशनलाल की मृत्यु होना, बिन्दु 3 के अनुसार किशनलाल का लाऔलाद फौत होना, बिन्दु 4 के अनुसार वादी धनराज के पक्ष में वसीयत होना तथा बिन्दु 5 के अनुसार किशनलाल की गैरखातेदारी की आराजी पर धनराज पुत्र रंगलाल मेघवाल का काबिज होना सिद्ध हो रहा है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

4– आया किशनलाल जी द्वारा आलेखित वसीयत के आधार पर वादी उक्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इसके समर्थन में वादी द्वारा उसके पक्ष में किशनलाल द्वारा की गई वसीयत की फोटोप्रति (प्रदश–8ए) पेश की गई है, इसकी मूल प्रति दौराने साक्ष्य पेश की गई। आवंटी द्वारा उक्त वसीयत से वादी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, वसीयत नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है। वसीयत के गवाह रमेशचन्द के साक्ष्य का शपथ पत्र पेया किया जिसमें गवाह रमेशचन्द द्वारा वादी धनराज के पक्ष में उसके समक्ष वसीयत किये जाने तथा विवादित आराजी पर किशनलाल की मृत्योपरान्त वादी का कब्जा होने की पुष्टि की गई है। पटवारी रिपोर्ट (प्रदर्श–5) के अनुसार भी वादी का विधिक वारिस होना तथा आराजी पर काबिज होना प्रमाणित हो रहा है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

5— अनुतोष। इस तनकी के अन्तर्गत वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से यह सहायता चाही गई है कि वादी को आवंटी का वसीयती हकदार घोषित किया जावे तथा मूल रूप से आवंटित आराजी 10 बीघा 15 बिस्वा के वर्तमान पद्यति से बनने वाले वास्तविक रकबे को वादी का खातेदारी में दर्ज किया जावे।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में कायम की गई तनकियात के विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि किशनलाल पुत्र नन्दा को आराजी का 10 बीघा 15 बिस्वा आराजी का आवंटन हुआ है जिसके 1.72 हैक्टर बनते है। पटवारी रिपोर्ट (प्रदर्श–5) एवं वसीयतनामा (प्रदर्श–7) के मुताबिक वादी आवंटी किशनलाल का विधिक वारिस है।

ग्राम ताथेड के मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 के अनुसार किशनलाल को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 561 के नये नम्बर 845, 844/882, 833/883 कायम किये गये इनमें से किशनलाल के खाते खसरा नम्बर 845 रकबा 1.01 दर्ज किया गया, जो कि आवंटित आराजी के वास्तविक रकबे से 0.71 हैक्टर कम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल खसरा नम्बर 561 का रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा था जिसका दौराने सेटलमेन्ट रकबा कम करके नये खसरा नम्बर कायम किये गये और नये खसरा नम्बरान में उक्त खसरा नम्बर की आराजी सम्मिलित कर दी गई। विवादित आराजी के नक्शे के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज खसरा नम्बर 847/929 रकबा 0.80 से वादी के रकबे की कमी पूर्ति की जा सकती है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी धनराज आत्मज श्री रंगलाल जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा को गैरखातेदार किशनलाल पुत्र नन्दा का वारिस घोषित कर उनके स्थान पर, ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 845 रकबा 1.01 हैक्टर एवं कमी रकबा 0.71 हैक्टर की पूर्ति नगर विकास न्यास, कोटा के खसरा नम्बर 847/929 रकबा 0.80 हैक्टर से की जाकर वादी की आराजी का रकबा 1.72 हैक्टर गैरखातेदारी में दर्ज किये जाने तथा तदनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। संशोधित डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या 10 के अन्तर्गत राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविवि/3/89पार्ट–1 दिनांक 04.09.2013 के अनुसार ग्राम ताथेड को नगरीय क्षैत्र में सम्मिलित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अतः यदि वादी चाहे तो, नियमानुसार कार्यवाही कर गैरखातेदारी से खातेदारी प्राप्त कर सकते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

मूल वाद में संशोधित डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी :– **प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0**

बउनवान : –

1– धनराज उम्र 34 वर्ष आत्मज श्री रंगलाल जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज. (वादी)

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2– सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 01 / 15
निर्णय दिनांक : 11.09.2017

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी अभिभाषक श्री रघुवीर सिंह राठौड एवं प्रतिवादी की ओर से अभिभाषक प्रतिवादी क्र–1 श्री गोविन्द सिंह चौहान की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने एवं समस्त अभिलेखों तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 11–09–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिन्धव आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी धनराज आत्मज श्री रंगलाल जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा को गैरखातेदार किशनलाल पुत्र नन्दा का वारिस घोषित कर उनके स्थान पर, ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 845 रकबा 1.01 हैक्टर एवं कमी रकबा 0.71 हैक्टर की पूर्ति नगर विकास न्यास, कोटा के खसरा नम्बर 847 / 929 रकबा 0.80 हैक्टर से की जाकर वादी की आराजी का रकबा 1.72 हैक्टर गैरखातेदारी में दर्ज किये जाने तथा तदनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह संशोधित डिक्री आज तारीख 11.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3. अदर्शो के लिये स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2. अर्जी के लिये स्टाम्प 3. प्लीडर के लिये फीस 4. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड		जोड	